27.09.21.	बार-बार आवाज दिलाये जाने के उपरान्त भी न अपी० और न अधिवक्ता अपी० उप० आये अधि० रेस्पो उप०। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद अपना दाखिल दफ्तर हो।